न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर ([redacted]) नीमकाथाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज 114/2024
23-4-25	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप[illegible] उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26-5-25 को पेश हो।
26.05.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने फर्द दस्तावेजात किता–2 पेश किए, जो शामिल पत्रावली किए गए। प्रकरण में तहसलदार श्रीमाधोपुर से रिपोर्ट प्रांप्त हो जाने से वकील वादी ने बहस सुनी जाने का निवेदन किया, वकील वादी के निवेदन पर पर वादपत्र में वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 09.06.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
09.06.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 10.06.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
10.06.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायाहित में स्वीकार [illegible] स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वा[illegible] निर्णय [illegible]थक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] शुमार होकर वाद त[illegible] (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	सीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
114 / 2024	2024 / 233	23.07.2024	10.06.2025

उनवान प्रकरण

1. केशरी देवी पुत्री रूडाराम पत्नी शंकरलाल सैनी आयु 46 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी माल की तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान

—वादी—

बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला जिला नीमकाथाना (राज0)

——प्रतिवादी——

उपस्थित :—

श्री शंकरलाल सैनी, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:10 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र बाबत [illegible] रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2093, 2102, 2103 कुल किता-3 कुल रकबा 2.55 हैक्टर वाके ग्राम बडी ढाणी (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की वादीया हिस्सा 1/9 की खातेदार काबिज काश्तकार है। वादीया को अपने गांव, समाज बिरादरी में आम बोलचाल की भाषा में दाफू के नाम से पुकारते है और दाफू व केसरी एक ही महिला है। वादीया के पिता का स्वर्गवास होने पर वादीया की पैतृक उक्त कृषि भूमियों का विरासत का नामान्तरण हुआ तो वादीया के परिजनो ने ही विरासत नामान्तकरण की कार्यवाही की थी। इसलिए उक्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख में खातेदारी बाबत विरासत के नामान्तंकरण कार्यवाही के वक्त वादीया का नाम दाफू ही दर्ज हो गया जबकि वादीया के समस्त शैक्षणिक रिकार्ड एव अन्य सरकारी दस्तावेजो मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में वादीया का नाम केशरी देवी ही दर्ज है और इस प्रकार उक्त कृषि भूमियों का राजस्व अभिलेख में खातेदारी में वादीया का नाम दाफू अकित है जबकि अन्य समस्त दस्तावेजो में वादीया का नाम केशरी देवी अंकित हाने से नाम में भिन्नता होने से आपस मे मेल नंही खाता है। जिससे वादीया को अलग-अलग समझा जाता है और वादीया का नाम राजस्व अभिलेख में एवे अन्य समस्त सरकारी रिकार्ड दस्तावेजो में भिन्नता होने से वादीया सभी सकरारी सुविधाओं से वंचित रह जाती है जिससे वादीयाको काफी परेशानी होती है और भविष्य में भी वादीया के गम्भीर विधिक अडचने उत्पन्न होने की संभावनाये सदैव बनी रहती है इसलिए उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख खतोनियों में वादीया का नाम दाफू के स्थान पर केशरी देवी सही रूप से अंकित किया जाकर राजस्व अभिलेख खतौनी में दुरस्ती किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख खतौनियों में वादीया का नाम केशरी देवी सही रूप से अंकित किये जाने से ही वादीया को सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकेगा। वादीया ने अपनी उक्त कृषि भूमियों पर कृषि ऋण कार्ड बनाने हेत पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हल्का से संपर्क करने पर वादीया को उक्त राजस्व अभिलेख खतौनियों में वादीया का नाम दाफू अंकन होने की जानकारी हुई। वादीया ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख खतौनियों में अपना नाम दुरूस्त कराने बाबत निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा स्पष्ट रूप से इकार कर सक्षम न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वांद वादीया विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2093, 2102,2103 कुल किता–3 कुल रकबा 2.55 हैक्टर वाके ग्राम बडी ढाणी (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हिस्सा 1/9 का खातेदार दाफू पुत्री रूडाराम के स्थान पर केशरी देवी पुत्री रूडाराम पत्नी शंकरलाल सैनी उद्घोषित किया जावे। इस प्रकार से वाद में संदर्भित कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख खतौनियों मे इसी भांति दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी तहसीलदार को आदेश फरमाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है।

इस पर वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। रजिस्टर्ड डाक के तामील करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 308/भू.अ./2025 दिनांक 29.01.2025 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का दिवराला की रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराया है कि खसरा नम्बर 2093, 2102, 2103 कुल किता–3 कुल रकबा 2.55 हैक्टर ग्राम बडी ढाणी (थोई) में खातेदार दाफू पुत्री रूडाराम का हिस्सा 1/9 दर्ज रिकार्ड है। वादिया के राशनकार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता [illegible] केशरी देवी पत्नि शंकरलाल जाति माली निवासी ढाणी नाल तन दिवराला [illegible] मोतबिरान देह एवं सरपंच ग्राम पंचायत दिवराला ने केशरी देवी पत्नी [illegible] दाफू देवी पत्नि शंकरलाल दोनो एक ही महिला होना तस्दीक किया जिस बाबत सरपंच ग्राम पंचायत दिवराला का प्रमाण पत्र संलग्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

है। मजमेआम में उपस्थित। मोतबिरान ने बताया कि केशरी देवी पत्नि शंकरलाल जाति माली निवासी ढाणी नाल की तन दिवराला का पीहर बडी ढाणी (थोई) में है। वादिया का उपनाम दाफू देदी है अतः दोनो नामो से पुकारा जाना अभिशंषा पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है। वकील वादीया ने वादीया के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में वादीया केशरी देवी पुत्री रूडाराम पत्नी शंकरलाल का एवं साक्ष्य वादी गवाहान् में भगवानी देवी पत्नी गीगाराम का व प्रेम पुत्री रूडाराम का व सुडी देवी पुत्री रूडाराम का व गीगाराम सैनी पुत्र मनसुखराम सैनी के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किए। वकील वादीया ने वादपत्र में वादीया एवं गवाह के मुख्य परीक्षण में लिखितशुदा शपथ पत्र पेश कर दिए जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील वादीया की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीया द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की दो जमाबंदीया, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ग्राम पंचायत दिवराला की रिपोर्ट, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जांच रिपोर्ट, के आधार पर भिजवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट, साक्ष्य वादीया के मुख्य परीक्षण में पेश वादीया व गवाह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 2093, 2102, 2103 कुल किता–3 कुल रकबा 2.55 हैक्टर तन ग्राम बडी ढाणी (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हिस्सा 1/9 का खातेदार केशरी देवी पुत्री रूडाराम पत्नी शंकरलाल सैनी प्रमाणित होता है। जिसकी ताईद वादीया के वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य वादीया व साक्ष्य गवाह में प्रस्तुत गवाह के शपथ पत्र से होती है। अतः ऐसी स्थिति में वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर दाफू पुत्री रूडाराम के स्थान पर केशरी देवी पुत्री रूडाराम पत्नी शंकरलाल सैनी शुद्ध किया जाकर इन्द्राज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीया का वाद बाबत उदघोषणा दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2093, 2102, 2103 कुल किता–3 कुल रकबा 2.55 हैक्टर तन ग्राम बड़ी ढाणी (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हिस्सा 1/9 का खातेदार दाफू पुत्री रूडाराम के स्थान पर केशरी देवी उर्फ दाफू पुत्री रूडाराम पत्नी शंकरलाल सैनी घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:10 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)